

स्पॉष्ट पोस्ट से

श्रीमती ज्योया हाडके, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा प्रथम अपील प्राधिकारी  
(नोटरी) के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन )

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 422, "ए" विंग,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

\*\*\*\*\*

अपील सं0 16/ जेएस एंड एलए (जैडएच) /एनसी/2014

के मामले में :

श्री फैयाज अहमद,  
एडवोकेट,  
कैलेक्ट्रैट कम्पाउंड, बिजनौर,  
झाकघर व जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

बनाम

..... अपीलार्थी

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (एन)  
विधि और न्याय मंत्रालय,  
विधि कार्य विभाग,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली -110001

..... प्रत्यर्थी

### आदेश

13.01.2015

प्रस्तुत अपील दिनांक 19.11.2014 की है, जो दिनांक 28.11.2014 को प्राप्त हुई है और सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन किए गए अपीलार्थी के दिनांक 7.10.2014 के उस आवेदन -पत्र से उत्पन्न हुई है, जिसमें उसने नोटरी की नियुक्ति के लिए किए गए अपने आवेदन के बारे में सूचना मांगी थी। अपनी अपील में अपीलार्थी ने कहा है कि उसने नोटरी के तौर पर नियुक्ति के लिए किए गए अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए सूचना मांगी थी। तथापि, न्यायिक अनुभाग, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के दिनांक 31.01.2014 के पत्र सं0 36(1)/2014 - न्यायिक के तहत उसे भारत संघ के पैनल काउंसेल के लिए दिनांक 8.2.2014 को होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जो उसे दिनांक 7.2.2014 को टेलीफोन पर दी गई सूचना के अनुसार रद्द किया जा चुका था। अपीलार्थी ने कहा है कि वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके दिनांक 28.10.2014 के पत्र के तहत उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है।

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उनके दिनांक 28.10.2014 के पत्र के जरिए आवेदक को निम्नलिखित सूचना दी थी :-

क्र०सं 0	प्रश्न का उत्तर
1	इस विभाग के नोटरी अनुभाग में रखे गए दस्तावेजों के अनुसार श्री फैयाज़ अहमद का नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई भी आवेदन पत्र नोटरी अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, अन्य कोई सूचना आवेदन पत्र के दिनांक आदि के बारे में व्यौरा भेजने पर ही प्रदान की जा सकती है।

3. अपीलार्थी / आवेदक दिनांक 12.12.2014 के नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं हुआ। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोटरी सेल) ने पुनः सूचित किया है कि श्री फैयाज़ अहमद की ओर नोटरी के तौर पर नियुक्त हेतु कोई आवेदन-पत्र विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायिक अनुभाग ने दिनांक 31.01.2014 के पत्र सं0 36(1)/2014 -न्यायिक के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी है।

4. मामले की ध्यानपूर्वक जांच करने और अपीलार्थी / आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को देखते हुए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोटरी सेल) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के 30 दिन के भीतर आवेदक को उचित सूचना उपलब्ध कराएं। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

5. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, श्रीकांती कामा पैलेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।  
दोनों पक्षों को तदनुसार सूचित कर दिया जाए।

जोया हाड़के  
(जोया हाड़के)

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा  
प्रथम अपील प्राधिकारी  
दिनांक: 13.01.2015

1. श्री फैयाज़ अहमद, एडवोकेट, कलैक्ट्रैट कम्पाउंड, बिजनौर, डाकघर व जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
2. उप विधि सलाहकार एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोटरी), विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
3. उप विधि सलाहकार एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (न्यायिक), विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 को उनके दिनांक 31.01.2014 के पत्र सं0 36(1)/2014 - न्यायिक के संदर्भ में।
4. सूचना का अधिकार सेल (विधि कार्य विभाग)।

सेवा मे,

श्रीमति ज्योता हड्के,  
अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिकारी,  
विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय  
कमरा न० ४२२ ए, चौथा तल, शास्त्री भवन नई दिल्ली ।

विषय:-

याची के आवेदन पत्र दिनांक ७-१०-१४ पर पत्र सं० ५४(३०८)/२०१४-एन०सी०  
पर दिनांक २८-१०-२०१४ को दी गई सूचना जो याची को दिनांक ३-११-२०१४  
को प्राप्त हुआ है के विरुद्ध अपील ।

महोदया,

नियेदन यह है कि याची के द्वारा एक प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक ७-१०-१४ को दिया था जिस मे याची के द्वारा अपने नोटरी व्यवसाय के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आवेदन पत्र की स्थिती जान नी चाही थी । प्रार्थना पत्र की छाया प्रति साथ मे संलग्न है ।

उपर प्रार्थना पत्र के जवाब ने मुझे यह उत्तर दिया गया है कि नोटरी जिनाम ने रखे गये दस्तावेज के अनुसार याची का नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई भी आवेदन पत्र नोटरी अनुभाग मे प्राप्त नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आवेदन पत्र के दिनांक इत्यादि के बारे मे व्योरा भेजने पर ही प्रदान की जा सकती है । इस जवाब की प्रति साथ मे संलग्न की जा रही है ।

इस जवाब के विरोध मे याची अपने नोटरी आवेदन पत्र की छाया प्रति तथा रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित कर रहा है ।

याची के आवेदन पत्र के समर्थन मे एक पत्र सांसद श्री अजहरुदीन के द्वारा श्री कपिल सिव्हल मन्त्री कानून एवं न्याय एवं संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी भारत सरकार को याची के नोटरी आवेदन पत्र की संस्तुती करते हुवे लिखा था जिस का जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने श्री अजहरुदीन सांसद महोदय को पत्र सं० ३०००० न० एम०एल०जे०/२०१३-१५६ के द्वारा दिया था जिसके पत्र की छाया प्रति भी साथ मे संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूं ।

यह कि याची को एक पत्र न० F.No. 36(1)/2014-Judl. Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs Judicial Section Date 31-1-2014 का याची को प्राप्त हुआ था जिस मे याची को ८-२-२०१४ को पैनल ओफ यूनियन ओफ इण्डिया के साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था परन्तु दिनांक ७-२-१४ को दूरभाष द्वारा याची को इस साक्षात्कार के निरस्त किये जाने की सूचना दी गई थी जिसका नम्बर याची के द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित किया था । इस पत्र की छाया प्रति साथ मे संलग्न है ।

अतः प्रार्थना है कि उक्त वर्णित तथ्यो तथा उपलब्ध व संलग्न साक्षो से यह निविवाद रूप से विदित है कि याची का नोटरी का आवेदन विभाग को प्राप्त हुआ था परन्तु याची को गलत तथ्य रेशाते हुवे उत्तर दिया गया है । इस लिये याची का आवेदन पत्र की सही स्थिति की सूचना याची को प्रदान करते हुवे उसपर अंकित पाइल नम्बर प्रदान किया जाये तथा दिया गया जवाब दिनांक २८-१०-२०१४ को निरस्त फरमाया जाये, तथा याची के नोटरी आवेदन पत्र पर व्यवसायिक प्रमाण पत्र दिया जाये ।

आप की महान कृपा होगी ।

संलग्नक- १- नोटरी आवेदन पत्र की तथा रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रति

२- श्री कपिल सिव्हल मन्त्री कानून एवं न्याय द्वारा लिखे पत्र की छाया प्रति ।

३- मिनिस्टरी आफ ला एण्ड जस्टिस द्वारा जारी पत्र दि० ३९-१-२०१४ की प्रति ।

४- दिनांक २८-१०-१४ को दिये गये जवाब की छाया प्रति ।

दिनांक : १६-११-१४

याची  
फैयाज अहमद एडवोकेट  
कलकट्ट कम्पाउन्ड, बिजनौर  
डा० व जिला बिजनौर उ०प्र०  
मुबार०न० ६६२७१६०६७४

१२४/८८/१४

FORM I

MEMORIAL  
(Rule 4 (3))



1 Name of the applicant: F A Y Y A Z A H M A D

2 Father's/Husband's name: Sohri ANWARUL HAQ

3 Date of Birth: 11-05-1963

4 Whether SC/ST/OBC/General: O.E.C. (MOMIN ANSAR)

5 Address( Residence): Mohalla Julahen Seedgah Road Bijnor

P.O. & Distt. Bijnor Pin 246701

Telephone: 09927160874 Fax: NO E-Mail: NO

Address (Office): Asst. Collectorate compound Bijnor


P.O. & Distt. Bijnor U.P. Pin: 246701

Telephone: 09927160874 Fax: NO E-Mail: NO

Educational qualifications (Please attach attested photocopies): L.L.B.

2007/04

Enrolment No. and date (Please attach attested photocopies): Dt. 17-3-2004

  
Fayyaz Ahmad

Collectorate Bijnor Revenue Side (Consolidation Court)

Practising in:

Civil side: NO

Criminal side: NO

Taxation: NO

Revenue courts: yes (Consolidation Courts)

Whether income tax assessee: NO

16. The memorial of (name of the applicant in block letters) showeth: FAYYAZ AHMAD

1. that the memorialist is a person eligible for appointment as notary under the notaries Act, 1952 and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;

2. that the memorialist resides in U.P. (Bijnor) (here state the name of the local area or name of court where he intends to practise) and will reside for upwards By Birth (state how long);

3. that the number of notaries in the local area is insufficient for the requirements thereof (the grounds of the statement should be added): Applicant suffer from ASTHAMA disease due to which he can't walk and speaking loudly.

4. that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six-months.

The memorialist, therefore, prays that en government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the notaries Act, 1952 (S. of 1952) and clause (a) of the rule (3) of the Notaries Rules, 1956 to practice in U.P. Distt. Bijnor (here state the name of the local area).

  
Fayyaz Ahmad  
Signature of the Applicant

22-10-2011  
Date: day of

- 3 -

Fayyaz Ahmad

Signature  
(with seal)

Sign. Attest  
A

1. Name and address  
of Organisation      Profession

SOC.

Name and address  
of the firm/Orgn.  
Collectorate, Bijnor.

PCS  
MANJU LATA SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE  
(मंजू लता) BIJNOR (U.P.)

प्रभारी विभाग (सदर)

PRAKASH-CHAND-TRIPATHI  
CHIEF MANAGER  
BANK OF BARODA  
SADAR BAZAR-BIJNOR (U.P.)

श्रीराम (रामानंद)  
रामगढ़ी, सर्वोच्च नगर, बिजनौर  
3. Zakeer Ahmad  
Proprietor

Signature of  
Mr. Fayyaz Ahmad  
Varified as per  
our record

प्रभारी विभाग  
सदर बाजार, बिजनौर (उ.प.)  
Sadar Bazar, BIJNOR (U.P.)

प्रभारी विभाग  
सदर बाजार, बिजनौर (उ.प.)



प्रभारी विभाग  
सदर बाजार, बिजनौर (उ.प.)

Royal Traders  
Chahsheeri Bijnor

4. Chahsheeri Bijnor

5. Chahsheeri Bijnor

6. Chahsheeri Bijnor

7. Chahsheeri Bijnor

8. Chahsheeri Bijnor

9. Chahsheeri Bijnor

10. Chahsheeri Bijnor

11. Chahsheeri Bijnor

12. Chahsheeri Bijnor

13. Chahsheeri Bijnor

14. Chahsheeri Bijnor

15. Chahsheeri Bijnor

16. Chahsheeri Bijnor

17. Chahsheeri Bijnor

18. Chahsheeri Bijnor

19. Chahsheeri Bijnor

20. Chahsheeri Bijnor

21. Chahsheeri Bijnor

22. Chahsheeri Bijnor

23. Chahsheeri Bijnor

24. Chahsheeri Bijnor

25. Chahsheeri Bijnor

26. Chahsheeri Bijnor

27. Chahsheeri Bijnor

28. Chahsheeri Bijnor

29. Chahsheeri Bijnor

30. Chahsheeri Bijnor

31. Chahsheeri Bijnor

32. Chahsheeri Bijnor

33. Chahsheeri Bijnor

34. Chahsheeri Bijnor

35. Chahsheeri Bijnor

36. Chahsheeri Bijnor

37. Chahsheeri Bijnor

38. Chahsheeri Bijnor

39. Chahsheeri Bijnor

40. Chahsheeri Bijnor

41. Chahsheeri Bijnor

42. Chahsheeri Bijnor

43. Chahsheeri Bijnor

44. Chahsheeri Bijnor

45. Chahsheeri Bijnor

46. Chahsheeri Bijnor

47. Chahsheeri Bijnor

48. Chahsheeri Bijnor

49. Chahsheeri Bijnor

50. Chahsheeri Bijnor

51. Chahsheeri Bijnor

52. Chahsheeri Bijnor

53. Chahsheeri Bijnor

54. Chahsheeri Bijnor

55. Chahsheeri Bijnor

56. Chahsheeri Bijnor

57. Chahsheeri Bijnor

58. Chahsheeri Bijnor

59. Chahsheeri Bijnor

60. Chahsheeri Bijnor

61. Chahsheeri Bijnor

62. Chahsheeri Bijnor

63. Chahsheeri Bijnor

64. Chahsheeri Bijnor

65. Chahsheeri Bijnor

66. Chahsheeri Bijnor

67. Chahsheeri Bijnor

68. Chahsheeri Bijnor

69. Chahsheeri Bijnor

70. Chahsheeri Bijnor

71. Chahsheeri Bijnor

72. Chahsheeri Bijnor

73. Chahsheeri Bijnor

74. Chahsheeri Bijnor

75. Chahsheeri Bijnor

76. Chahsheeri Bijnor

77. Chahsheeri Bijnor

78. Chahsheeri Bijnor

79. Chahsheeri Bijnor

80. Chahsheeri Bijnor

81. Chahsheeri Bijnor

82. Chahsheeri Bijnor

83. Chahsheeri Bijnor

84. Chahsheeri Bijnor

85. Chahsheeri Bijnor

86. Chahsheeri Bijnor

87. Chahsheeri Bijnor

88. Chahsheeri Bijnor

89. Chahsheeri Bijnor

90. Chahsheeri Bijnor

91. Chahsheeri Bijnor

92. Chahsheeri Bijnor

93. Chahsheeri Bijnor

94. Chahsheeri Bijnor

95. Chahsheeri Bijnor

96. Chahsheeri Bijnor

97. Chahsheeri Bijnor

98. Chahsheeri Bijnor

99. Chahsheeri Bijnor

100. Chahsheeri Bijnor

101. Chahsheeri Bijnor

102. Chahsheeri Bijnor

103. Chahsheeri Bijnor

104. Chahsheeri Bijnor

105. Chahsheeri Bijnor

106. Chahsheeri Bijnor

107. Chahsheeri Bijnor

108. Chahsheeri Bijnor

109. Chahsheeri Bijnor

110. Chahsheeri Bijnor

111. Chahsheeri Bijnor

112. Chahsheeri Bijnor

113. Chahsheeri Bijnor

114. Chahsheeri Bijnor

115. Chahsheeri Bijnor

116. Chahsheeri Bijnor

117. Chahsheeri Bijnor

118. Chahsheeri Bijnor

119. Chahsheeri Bijnor

120. Chahsheeri Bijnor

121. Chahsheeri Bijnor

122. Chahsheeri Bijnor

123. Chahsheeri Bijnor

124. Chahsheeri Bijnor

125. Chahsheeri Bijnor

126. Chahsheeri Bijnor

127. Chahsheeri Bijnor

128. Chahsheeri Bijnor

129. Chahsheeri Bijnor

130. Chahsheeri Bijnor

131. Chahsheeri Bijnor

132. Chahsheeri Bijnor

133. Chahsheeri Bijnor

134. Chahsheeri Bijnor

135. Chahsheeri Bijnor

136. Chahsheeri Bijnor

137. Chahsheeri Bijnor

138. Chahsheeri Bijnor

139. Chahsheeri Bijnor

140. Chahsheeri Bijnor

141. Chahsheeri Bijnor

142. Chahsheeri Bijnor

143. Chahsheeri Bijnor

144. Chahsheeri Bijnor

145. Chahsheeri Bijnor

146. Chahsheeri Bijnor

147. Chahsheeri Bijnor

148. Chahsheeri Bijnor

149. Chahsheeri Bijnor

150. Chahsheeri Bijnor

151. Chahsheeri Bijnor

152. Chahsheeri Bijnor

153. Chahsheeri Bijnor

154. Chahsheeri Bijnor

155. Chahsheeri Bijnor

156. Chahsheeri Bijnor

157. Chahsheeri Bijnor

158. Chahsheeri Bijnor

159. Chahsheeri Bijnor

160. Chahsheeri Bijnor

161. Chahsheeri Bijnor

162. Chahsheeri Bijnor

163. Chahsheeri Bijnor

164. Chahsheeri Bijnor

165. Chahsheeri Bijnor

166. Chahsheeri Bijnor

167. Chahsheeri Bijnor

168. Chahsheeri Bijnor

169. Chahsheeri Bijnor

170. Chahsheeri Bijnor

171. Chahsheeri Bijnor

172. Chahsheeri Bijnor

173. Chahsheeri Bijnor

174. Chahsheeri Bijnor

175. Chahsheeri Bijnor

176. Chahsheeri Bijnor

177. Chahsheeri Bijnor

178. Chahsheeri Bijnor

179. Chahsheeri Bijnor

180. Chahsheeri Bijnor

181. Chahsheeri Bijnor

182. Chahsheeri Bijnor

183. Chahsheeri Bijnor

184. Chahsheeri Bijnor

185. Chahsheeri Bijnor

186. Chahsheeri Bijnor

187. Chahsheeri Bijnor

188. Chahsheeri Bijnor

189. Chahsheeri Bijnor

190. Chahsheeri Bijnor

191. Chahsheeri Bijnor

192. Chahsheeri Bijnor

193. Chahsheeri Bijnor

194. Chahsheeri Bijnor

195. Chahsheeri Bijnor

196. Chahsheeri Bijnor

197. Chahsheeri Bijnor

198. Chahsheeri Bijnor

199. Chahsheeri Bijnor

200. Chahsheeri Bijnor

201. Chahsheeri Bijnor

202. Chahsheeri Bijnor

203. Chahsheeri Bijnor

204. Chahsheeri Bijnor

205. Chahsheeri Bijnor

206. Chahsheeri Bijnor

207. Chahsheeri Bijnor

208. Chahsheeri Bijnor

209. Chahsheeri Bijnor

210. Chahsheeri Bijnor

211. Chahsheeri Bijnor

212. Chahsheeri Bijnor

213. Chahsheeri Bijnor

214. Chahsheeri Bijnor

215. Chahsheeri Bijnor

216. Chahsheeri Bijnor

217. Chahsheeri Bijnor

218. Chahsheeri Bijnor

219. Chahsheeri Bijnor

220. Chahsheeri Bijnor

221. Chahsheeri Bijnor

222. Chahsheeri Bijnor

223. Chahsheeri Bijnor

224. Chahsheeri Bijnor

225. Chahsheeri Bijnor

226. Chahsheeri Bijnor

227. Chahsheeri Bijnor

228. Chahsheeri Bijnor

229. Chahsheeri Bijnor


230. Chahsheeri Bijnor

231. Chahsheeri Bijnor

232. Chahsheeri Bijnor

233. Chahsheeri Bijnor

23



कपिल सिंहल  
KAPIL SIBAL



मंत्री  
कानून एवं न्याय  
एवं  
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी  
भारत सरकार  
MINISTER  
LAW AND JUSTICE  
&  
COMMUNICATIONS AND IT,  
GOVERNMENT OF INDIA

D.O. No. MLJ/ 2013- 159

Dear Shri Azharuddin ji,

I have received your letter dated December 16, 2013 regarding appointment of Sh. Fayyaz Ahmad, Advocate as Notary at District Bijnor, U.P.

With regards,

Yours sincerely,

*Azhar*  
(KAPIL SIBAL)

Shri Mohammed Azharuddin, MP  
C-1/12, Lodhi Garden  
Rajesh Pilot Marg  
New Delhi-110003

By Speed Post

F.No. 36(1)/2014-Judl.  
Ministry of Law and Justice  
Department of Legal Affairs  
Judicial Section

\*\*\*\*\*

4<sup>th</sup> Floor, Shastri Bhawan,  
New Delhi.

Dated: 31<sup>st</sup> January, 2014

To

Fayyaz Ahmad  
Mohalla Julahan leedgali Road  
Bijnor  
9927160974

Sub: Interaction with advocates aspiring for inclusion in the panel of Union of India  
to conduct Central Govt. litigation.


Dear Sir

The Central Govt. has decided to interact the advocates who are aspiring and have applied for inclusion their names in the panel of Union of India to conduct the Central Govt. litigation before the High Courts/Tribunals/Subordinate Courts of Uttar Pradesh

You are therefore, requested to make it convenient to be present for the said interaction on the date, time and place mentioned below:-

Date : 8<sup>th</sup> February, 2014  
Time : 9 AM To 5 PM  
Venue : Meeting Hall, Vidhi Sahitya Prakashan, ILI Building, Bhagwan Das Road, opposite Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Yours sincerely,

  
(J.S. Mishra)  
Assistant Legal Adviser  
Telefax: 011-23384945.

संख्या. 5A(308)/2014-NC

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नोटरी सेल

\*\*\*\*\*

४३९, शास्त्री भवन,  
नयी दिल्ली-११०००१

दिनांक : अक्टूबर 28, 2014

सेवा में,

श्री फैयाज़ अहमद,  
कलैनेट कम्पाउंड, बिजनौर,  
डा. व जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक ०७.१०.२०१४ के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 07.10.2014 जो कि नोटरी अनुभाग में 20.10.2014 को प्राप्त हुआ, के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में निम्न सूचना प्रदान की जा रही है:

क्रम सं.	प्रश्न का उत्तर
१	इस विभाग के नोटरी अनुभाग में रखे गये दस्तावेजों के अनुसार श्री फैयाज़ अहमद का नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई भी आवेदन पत्र नोटरी अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आवेदन पत्र के दिनांक इत्यादि के बारे में ब्यौरा भेजने पर ही प्रदान की जा सकती है।

२. यदि आप यहाँ प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति के ३० दिन के अंदर प्रथम अपील, पथम याचिका अधिकारी को निम्न नाम एवं पते पर कर सकते हैं।

श्रीमती जोया हड्के, अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिकारी,

विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय,

कमरा संख्या 422 ए., चौथा तल,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली -११०००१

पृष्ठ १

(पूनम सूरी)

उप विधि सलाहकार एवं  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
नोटरी सेल

लेखा ने,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी,  
चौथा ताल, विष्णु दिभाग, नोटरी सेल  
विंग शास्त्री भवन नई दिल्ली ११०००९

हिष्टेन्ट- जन सूचना अधिकार अधिनियम २००५ में सूचना प्राप्त करने हेतु।

नहानदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी ने अपना नोटरी के व्यवसाय प्रमाण पत्र देते जनवरी २०१८ आवेदन किया था। जिस पर विभाग द्वारा फाइल नं० ३६(१)/२०१८(Judl.) अंकित किया गया था। जिसमें विभाग को एक पंच दिनांक ३१-१-२०१८ का जारी स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया जिसमें दिनांक ३-२-२०१८ को दृष्ट दर्ज प्रातः साक्षात्कार हेतु पैनल लायर के लिये बुलाया गया था। परन्तु दिनांक ३-२-२०१८ को दृष्ट दर्ज प्रातः साक्षात्कार हेतु पैनल लायर के लिये बुलाया गया था। प्रार्थी के द्वारा ०९९२३३८९८८ द्वारा सूचना दी गई कि साक्षात्कार का प्राप्ताम कैरिल कर दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपना आवेदन नोटरी के लिये किया गया था कृपया मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान कराने का उपर्युक्त विभाग के लिये मैं निर्धारित शुल्क १००० का पोस्टल आर्डर संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ। प्रार्थी का नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आवेदन अब किस स्थिति में है तथा उसका पाइल नम्बर क्या है?

उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही चल रही है, तथा माह जनवरी २०१८ ने जो साक्षात्कार विभाग हेतु लिस्ट नेट पर डाली गई थी उसमें इस फाइल को सम्मिलित क्या नहीं किया गया था? क्या उपरोक्त आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां तो उस आदर्श को प्रमाणित करने की जाये।

सलग्न पोस्टल आर्डर नं० २३ एफ० ६२०४०९ दिन २६-६-२०१८

देनार्थ - २०१८-१८

प्रार्थी

पैंचानन अहमद एडवाक्ट  
कलन्दिट जल्दाइन्ड, विजनौर  
डॉ० व चिला विजनौर डॉप्र०  
मुख्य न० द९२०१८-०८०९६